न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 46/2017

अपीलांट्स	बनाम	**रेस्पोडेंट्स**
1.विशनाराम पुत्र हरदानराम 2.जुझाराम पुत्र जालूराम 3.हीराराम पुत्र जालूराम 4.श्रीमती मीरा पत्नि जालूराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी(खारिया तला)तहसील बाड़मेर		1.श्रीमती पारू पत्नि सिदाराम पुत्री मगाराम जाति जाट निवासी मौखाब तहसील,शिव 2.पपू पत्नि लालाराम पुत्री मगाराम जाति जाट निवासी रेवाली(बाटाडू) तहसील बायतु 3.गुमनाराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी पांचाणियो की ढाणी तहसील, बाड़मेर 4.तहसीलदार,बाड़मेर 5.नायब तहसीलदार द्वितीय,बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 21.08.2017 जो नायब तहसीलदार द्वितिय बाड़मेर द्वारा मौजा पांचाणियों की ढाणी,भाडखा के नामान्तरकरण संख्या 256 पर पारित किया गया।

उपस्थितिः–1. श्री मनोज पारीक अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री धनराज जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं.01से03 की ओर से।
3 .श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं04 व 05 की ओर से।

निर्णय दिनांक 17.04.2018

1. संक्षेप में अपीलांट्स की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स व स्पोडेंट संख्या 01 से 03 की वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 691/624 रकबा 85–02 बीघा,खसरा नम्बर 693/624 रकबा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 694/624 रकबा 18 विस्वा कुल रकबा 86–12 बीघा मौजा पांचाणियो की ढाणी में आये हुए है। उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी–रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने अपीलांट्स–प्रतिवादी के विरूद्ध एक राजस्व वाद संख्या 207/2009 सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)बाड़मेर के न्यायालय मे पेश किया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बाड़मेर द्वारा वादी–रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 का वाद स्वीकार कर अपीलांट्स की खातेदारी समाप्त कर उपरोक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु निर्णय एंव डिक्री दिनांक 31.12.2015 को जारी की गई। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट्स ने राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में अपील संख्या 01/2016 पेश की गई। राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर ने निर्णय दिनांक 17.08.2017 द्वारा अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप

जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्वीकार कर, सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 207/2009 में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2015 को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि मौजा पांचाणियो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर खासरा नम्बर 691/624 रकबा 85–02 बीघा,खसरा नम्बर 693/624 रकबा 12 विस्वा,खसरा नम्बर 694/624 रकबा 18 विस्वा कुल रकबा 86–12 बीघा में 1/2 हिस्सा में से रकबा 43–06 बीघा रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की खातेदारी की तथा 1/2 हिस्सा से रकबा 43–06 बीघा अपीलांट्स की खातेदारी में घोषित की गई। राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2017 के आधार पर नायब तहसीलदार द्वितिय बाड़मेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 19.08.2017 को स्वीकृत कर दिया। तत्पश्चात् नायब तहसीलदार द्वितिय बाड़मेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 256 पर पुनश्चः अंकित कर दिनांक 21.08.2017 को नामान्तरकरण अस्वीकार किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की।

2. हमने अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट्स को सम्मन किया एंव अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि ग्राम पांचाणियो की ढाणी के खसरा नम्बर 691/624 रकबा 85–02 बीघा,खसरा नम्बर 693/624 रकबा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 694/624 रकबा 18 विस्वा कुल रकबा 86–12 बीघा विस्वा भूमि की खातेदारी घोषित करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने सहायक कलक्टर बालोतरा के न्यायालय में एक राजस्व वाद संख्या 207/2009पेश किया। जिसमें सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर ने अपने निर्णय दिनांक 31.12.2015 द्वारा वादी–रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार कर रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये।सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा पारित इस निर्णय एंव डिक्री के विरूद्ध अपीलांट्स ने राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में अपील संख्या 01/16 पेश की गई जिसमें राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर ने अपीलांट्स की अपील निर्णय दिनांक 17.08.3017 को आंशिक रूप से स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेंट व अपीलांट की 1/2,–1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी में घोषित की गई। इस निर्णय की पालना में नायब तहसीलदार द्वितिय बाड़मेर ने तहसीलदार बाड़मेर की मोहर लगाकर नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 19.08.2017 स्वीकृत किया गया, जो सही है। मगर नायब तहसीलदार द्वितिय बाड़मेर द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 256 को आदेश दिनांक 21.08.2017 द्वारा अस्वीकार कर दिया। जबकि नायब तहसीलदार को तहसीलदार के आदेश को अस्वीकार या निरस्त करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार द्वितिय ने अपने अधिकार क्षेत्र व कर्तव्य से बाहर जाकर अपने उच्च अधिकारी के आदेश को अस्वीकार करने का आदेश पारित किया है। तहसीलदार बाड़मेर का आदेश क्षेत्राधिकार विहीन

जिला कलक्टर
बाड़मेर

होने एंव विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाए। उन्होने तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। इसलिये अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 256 पर पारित आदेश दिनांक 21.08.2017 को निरस्त करने एंव पूर्व में दिनांक 19.8.2017 को पारित आदेश को यथावत रखने का निवेदन किया।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट्स के मध्य वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सहायक कलक्टर बाड़मेर के न्यायालय में प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेंट्स के पक्ष में जरिये निर्णय दिनांक 31.12.2015 को पारित किया गया। सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलांट्स ने राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2017 के विरूद्ध रेस्पोडेट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितिय अपील संख्या 5015/2017 पारू बनाम विशनाराम दिनांक 18.08.2017 को प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 06.09.2017 को राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2017 की पालना स्थगित कर विवादित आराजी की मौके एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये थे, जो आज तक प्रभावी है। जब राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 17.08.2017 के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितिय अपील प्रस्तुत की जा चुकी थी और इसकी सूचना तहसीलदार बाड़मेर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अधीनस्थ अधिकारी–नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर के अवकाश में होने से उनका चार्ज स्वंय के पास होने के कारण अपीलांट्स को अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से सार्वजनिक अवकाश शनिवार दिनांक 19.08.2017 को रेस्पोडेंट की आपति को दरकिनार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संया 256 स्वीकृत कर दिया। बाद में अधीनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार द्वितिय बाड़मेर द्वारा विवादित नामान्तरकरण को क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज किया गया, जो विधिअनुसार सही रूप से दिनांक 21.08.2017 को खारिज किया गया है। इसलिये अपीलांट्स द्वारा आदेश दिनांक 21.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील गलत एंव विधि विरूद्ध होने से खारिज की जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम पांचाणियो की ढाणी के खसरा नम्बर 691/624 रकबा 85–02 बीघा,खसरा नम्बर 693/624 रकबा 12विस्वा, खसरा नम्बर 694/624 रकबा 18 विस्वा कुल रकबा 86–12 बीघा विस्वा भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने सहायक कलक्टर बालोतरा के न्यायालय में एक राजस्व वाद संख्या 207/2009 पेश किया। जिसमें सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर ने अपने निर्णय दिनांक 31.12.2015 द्वारा वादी–रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार कर रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश पारित किये। सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा पारित इस निर्णय एंव डिक्री के विरूद्ध अपीलांट्स ने राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में अपील संख्या 01/16 पेश की गई जिसमें राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर ने अपीलांट्स की अपील निर्णय दिनांक 17.08.3017 को आंशिक रूप से स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेंट व अपीलांट की 1/2,–1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी में घोषित की गई।राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 17.08.2017 के विरूद्ध रेस्पोडेंट ने राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 5015/2017 प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने आदेश दिनांक 06.09.2017 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी,बाड़मेर के निर्णय दिनांक 17.08.2017 की पालना स्थगित कर विवादित आराजी की मौके एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित कियें। पत्रावली पर उपलब्ध आदेश संख्या 3015 दिनांक 12.06.2017 के अवलोकन से जिले के तहसीलदारों एंव नायब तहसीलदार के मध्य कार्य का विभाजन किया हुआ है।इस कार्य विभाजन से निरीक्षक वृत बिशाला हेतु वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने एंव नामान्तरकरण पारित करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर अधिकृत है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के निर्णय की पालना में पटवारी हल्का भाडखा ने तहसीलदार बाड़मेर के आदेश कंमाक भू.अ./4010 दिनांक 17.08.2017 का हवाला देकर नामान्तरकरण संख्या 256 भरकर भूअभिलेख निरीक्षक बिशाला के समक्ष पेश किया । भूअभिलेख निरीक्षक ने जॉच अंकित करने की टिप्पणी अंकित कर, नायब तहसीलदार, द्वितिय बाड़मेर के समक्ष पेश किया। नायब तहसीलदार,द्वितिय बाड़मेर ने क्षेत्राधिकार से हटकर तहसीलदार बाड़मेर की मोहर लगाकर नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 19.08.2018 को स्वीकृत कर दिया,जो गलत एंव त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। तत्तपश्चात् नायब तहसीलदार द्वितिय बाड़मेर ने इस नामान्तरकरण पर नामान्तरकरण को क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर दिनांक 21.08.2017को अस्वीकृत किया है।अतः नायब तहसीलदार द्वितिय बाड़मेर द्वारा क्षेत्राधिकार के आधार पर नामान्तरकरण अस्वीकृत किया गयाहै,जो सही एंव उचित है। इसमें कोई अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है।

(शिवप्रसाद एस.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर